न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—42/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00042)

1. प्रेमचंद पुत्र पूसा
2. चांदमल पुत्र पूसा
3. रामनिवास पुत्र पूसा
4. लक्ष्मीदेवी पत्नि सुवालाल
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र सुवालाल
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुवालाल
7. राजनारायण पुत्र सुवालाल
8. राधा पुत्री सुवालाल

   समस्त जाति माली निवासी रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर जरिए मुख्त्यारआम शिवराज पुत्र प्रेमचंद जाति माली निवासी रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. मुकेश जिन्दल पुत्र महेश जिन्दल जाति अग्रवाल, निवासी 224, सदर बाजार, नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. धूलीदेवी पत्नि गणेश, जाति तेली निवासी माली मौहल्ला, फायसागर रोड अजमेर। **(फौत)**

   2/1 श्रीमती मनभर पत्नि बाबूलाल साहू निवासी ममैया का चौक लाखन कोटडी अजमेर।

   2/2 राजेन्द्र साहू पुत्र स्व0 बाबूलाल साहू निवासी मोती विहार कॉलोनी, गली नम्बर 4, बाण्डी नदी के पास अजमेर।

   2/3 सुरेन्द्र साहू पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल साहू निवासी मोती विहार कॉलोनी रामनगर, अजमेर।

   2/4 श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि सुभाषचंद आसरवा, पुत्री बाबूलाल साहू निवासी 133/24 ई—न्यू फ्रूट मण्डी के सामने सुभाष नगर अजमेर।

   2/5 श्रीमती मधुबाला पत्नि जयप्रकाश पुत्री स्व0 बाबूलाल साहू निवासी 477/17, खजूर का बाडा डिग्गी रोड अजमेर।

   2/6 श्रीमती विमलादेवी पत्नि जितेन्द्र कुमार साहू पुत्री स्व0 बाबूलाल साहू निवासी 10 बाडी नदी के सामने मोती विहार कॉलोनी अजमेर।

   2/7 श्रीमती कृष्णा साहू पत्नि श्री कुमार पुत्री जितेन्द्र कुमार साहू निवासी मकान नम्बर 509, नया मौहल्ला लाखन कोटडी अजमेर।

   2/8 विजेन्द्र साहू पुत्र जितेन्द्र कुमार साहू निवासी 10 बाडी नदी के सामने मोती विहार कॉलोनी अजमेर।

   2/9 रजनी साहू पुत्री जितेन्द्र कुमार साहू निवासी 10 बाडी नदी के सामने, मोती विहार कॉलोनी अजमेर।

   2/10 मनीष साहू पुत्र जितेन्द्र साहू नाबालिग जरिए संरक्षक माता विमलादेवी निवासी 10 बाडी नदी के सामने, मोती विहार कॉलोनी अजमेर।
3. उप पंजीयक, अजमेर

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर राजस्व वाद संख्या 119/2014 बउनवानी प्रेमचंद बनाम मुकेश जिन्दल।

उपस्थितः—

1. श्री धमेन्द्रटांक अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट्स संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
4. रेस्पोडेंट्स संख्या 2/1 से 2/10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—18.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर पूर्व में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया परंतु तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर उक्त दावे को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2019 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट्स संख्या 2/1 से 2/10 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर अपने द्वारा पारित निर्णय का प्रथम मुख्य आधार यह माना कि "वादग्रस्त आराजी

कस्टोडियन भूमि थी, जिसके क्रेतागण प्रतिवादी है एवं कस्टोडियन भूमि के संबंध में वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 46 Administration of Evacuee Property Act 1955 की धारा 46 के अनुसार कस्टोडियन भूमि के संदर्भ में कोई विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।" उक्त कथन अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार ही नहीं था क्योंकि जा.दी. के आदेश 7 नियम 10 व 10ए में स्पष्ट रूप से यह विधिक प्रावधान अंकित किए गए है कि यदि किसी न्यायालय के समक्ष पक्षकार द्वारा कोई ऐसा वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है तो वह न्यायालय उक्त वाद पत्र की सुनवाई कर ना तो उसे खारिज कर सकता है एवं ना ही स्वीकार कर सकता है। अपितु उसे उक्त वाद पत्र को उसके सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पक्षकार को पुनः लौटा दिया जाना चाहिए परन्तु उक्त महत्वपूर्ण विधिक तथ्य को नजरन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर निर्णय करते हुए वादीगण का वाद ही क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर अपने द्वारा पारित निर्णय का द्वितीय मुख्य आधार यह माना कि "उक्त वाद पत्र से पूर्व भी वादीगण के पूर्वज द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 70/1966 बोदू, पूसा व किस्तूरा पिसरान केसा बनाम असिस्टेन्ट कस्टोडियन व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा Administration of Evacuee Property Act 1955 की धारा 46 के तहत वर्जित मानते हुए दिनांक 1.7.1969 को निरस्त किया गया।" उक्त कथन अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद रेसज्यूडीकाटा अर्थात् पूर्व न्याय के सिद्धान्त पर खारिज कर दिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार ही नहीं था क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर पारित किए गए विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद पत्र के कथनों पर ही वाद पत्र खारिज करने पर विचार किया जा सकता है। जा.दी. की धारा 11 में विहित पूर्व न्याय का सिद्धान्त अर्थात् रेसज्यूडीकाटा का प्रश्न तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है तथा साक्ष्य लेखबद्ध किए बिना निर्णित नहीं किया जा सकता है परन्तु उक्त महत्वपूर्ण विधिक तथ्य को नजरन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत कोई वाद पत्र मात्र तभी खारिज किया जा सकता है जब वह उक्त आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के उपनियम अ, ब, स, द के तहत बाध्य होता हो परन्तु इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी विधिक प्रश्न अथवा तथ्य अंकित नहीं किया गया था जो कि उक्त उपनियम अ, ब, स, द की परिधि में आता हो तथा ना ही परीक्षण न्यायालय द्वारा ही उक्त उपनियम की परिधि के तहत वाद पत्र खारिज किया गया है जिससे सिद्ध था कि परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र में दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर व साक्ष्य अभिलेख पर लेकर ही उक्त दावे का निस्तारण किया जाना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को बेजा लाभ पहुंचाने की गरज से मात्र सरसरी तौर पर उसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए कथनों को ही आधार मानकर वादी के वाद पत्र को खारिज करने में गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है, जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील

अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एस0एस0सी 2017(1) पेज 120, आरबीजे 2018 पेज 449, आरआरटी 2014(1) पेज 201, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर केस आईडी नम्बर 5511/2018 हरिओम बनाम कमलेश निर्णय 28.01.2020 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88. 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खसरा नंबर 1398/1 एवं 1398/2 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। विवादित भूमि जो कस्टोडियन विभाग की भूमि थी कि जिसे विधिनुसार निलामी की गई एवं श्री मातादीन यादव के पक्ष में निलामी के अनुसार राशि जमा करवाये जाने के उपरांत सटिफिकेट जारी किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 11.8.1976 को किया गया ताकि दिनांक 8.12.1977 को कब्जा भी सुपुर्द्ध किया गया पंजीबद्ध सेल सटिफिकेट के अनुसार मातादीन यादव के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 26.11.1978 कर वर्तमान खातेदारी में खातेदार दर्ज किया गया तदनुकूल श्री मातादीन यादव के द्वारा जरिये पंजीकृत बेनामा दिनांक 3.2.2006 को श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ एवं मुकेश जिन्दल को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तदनुकूल रामेश्वरलाल पुत्र जगन्नाथ से उसके 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश जिन्दल के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 18.8.2006 को क्रय की की गई तदनुकूल नामान्तकरण संख्या 880 दिनांक 28.5.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष स्वीकृत किया गया, वर्तमान वर्तमान चौसाला जमाबंदी के अनुसार खसरा नबर 1398/1 रकबा 0–19–10 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज है एवं काबिज है तथा खसरा नंबर 1398/1 का शेष भाग रकबा 0–0–5 की भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद संख्या 79/66 श्री बोदू, पूसा, किस्तूरा पुत्रगण केसा जाति माली बनाम असिस्टेन्ड कस्टोडियन व अन्य राजस्व वाद कि जिस पर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक न्यायालय संख्या 1 अजमेर के द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.1969 को पारित कर विवादित भूमि संदर्भ में वाद निरस्त किया गया निर्णय व डिक्री कि जिसमें यह अदालत उक्त आदेश के सबंध में कोई आदेश देने के लिए सक्षम नहीं हो सकती व डिसप्लेसड परसन (सीएण्ड आर) एक्ट 1954 की धारा 36 व 27 जिसमें अवरोध स्वरूप के अनुसार भी वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.1969 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील संख्या 279/69 अपील प्रस्तुत की गई कि जिस जिस पर निर्णय दिनांक 28.9.1972 के अनुसार अपील निरस्त की गई एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर अजमेर संख्या 1 अजमेर के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 1.7.1969 को यथावत रखा गया वादीगण का वादि निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के बाबत पूर्ववत राजस्व वाद 79/66 को भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं मानते हुए वाद पत्र को निरस्त किया गया कि जिसकी वादीगण को पूर्ण जानकारी थी। विवादित भूमि खसरा नंबर 1398/1 रकबा 0–19–10 अजमेर थोक तेलियान अजमेर से भूमि के सदर्भमें कस्टोडियन विभाग के द्वारा विधिवत निलामी कर प्रतिवादी संख्या 1 के विकेता श्री मातादीन यादव के पक्ष में दिनांक 11.8.1976 को सेललेटर जारी किया गया

एवं पंजीबद्ध करवाया गया कि जिसे भी वाद पत्र के जरिये चुनौती दिये जाने का एवं माननीय न्यायालय के सुनवाई किये जाने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है The Didplaced Persons (Compensation And Rehabiltation) Act 1954 तथा धारा 36 के अनुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील का प्रावधान है ऐसी अवस्था में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मातादीन यादव के द्वारा पंजीबद्व बेनामा दिनांक 3.2.2006 को श्री रामेश्वरलाल एवं मुकेश जिन्दल के पक्ष में ताकि श्री रामेश्वरलाल के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश जिन्दल के पक्ष में पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 18.8. 2006 जो कि आज दिवस तक प्रभाव में है ऐसी स्थिति में भी पंजीबद्ध बेनामा को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इस कारण भी वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के द्वारा वाद पत्र कि जिसके पेरा संख्या 6 वाद कारण से सबंधित है परन्तु वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के संदर्भ में वाद कारण के बाबत इस पैरा में वाद कारण कि दिनांक माह एवं सन ही नहीं दर्शाये गये वाद कारण ही नहीं दर्शाया गया प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ इस कारण भी वादीगण का वाद भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(8)2001, आरआरटी 2021(1), एआईआर 2023 मद्रास 43:एयर ऑन लाईन 2022 एमएडी 204 प्रस्तुत किए हैं।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 16.12.2019 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेज संवत 2022–2025 का अवलोकन किया गया। विवादित खसरा नम्बर 1398/1 रकबा 19 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि कॉलम संख्या 5 में मौहम्मद हनीफ वल्द मौहम्मद अली मनीयार के नाम अंकन थी तथा जमाबंदी संवत 2022–2025 में खसरा नम्बर 1398/2 रकबा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी मुस्मात धूली बेवा गणेश कौम तेली के नाम दर्ज है।

मातादीन यादव वल्द श्री गोपालसिंह द्वारा उक्त आराजीयात कस्टोडियन विभाग से क्रय कर नामांतकरण संख्या 13 दिनांक 26.11.1978 तस्दीक किया गया। तहसीलदार अजमेर के आदेशानुसार दिनांक 12.03.2007 की पालना में खाता संख्या 622 कायम किया गया।

राजस्थान सरकार द्वारा किए गए ऑक्शन दिनांक 26.02.1965 द्वारा खसरा नम्बर 1398 का 5 बिस्वा कस्टोडियन विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया तथा शेष रकबा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी मातादीन यादव द्वारा क्रय किया गया तथा

क्रय किए जाने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध भूअभिलेख प्रथम की रिपोर्ट दिनांक 12.12.1977 को पटवार हल्का एंव आईएलआर द्वारा खसरा नम्बर 1398 रकबा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी का मौके पर नाप चौप कर कब्जा मय पुलिस इमदाद मातादीन यादव को दिलाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट है कि मातादीन यादव द्वारा खसरा संख्या 1398 ही क्रय किया गया था तथा सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 1398 का ही उल्लेख है तथा सेल सर्टिफिकेट में भी खसरा नम्बर 1398 का ही उल्लेख है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जो इस तथ्य की ताईद करता हो कि सरकार द्वारा जारी किए गए गजट में अंकित खसरा संख्या 1398 से ही खसरा नम्बर 1398/1 व खसरा नम्बर 1398/2 बने हुए हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध इन समस्त तथ्यों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत कस्टोडियन भूमि के संबंध में Administration of Evacuee Property Act 1955 की धारा 46 के अनुसार कस्टोडियन भूमि के संदर्भ में विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा यह भी माना कि उक्त वाद पत्र से पूर्व भी वादीगण के पूर्वज द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 70/1966 बोदू, पूसा व किस्तूरा पिसरान केसा बनाम असिस्टेन्ट कस्टोडियन व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा Administration of Evacuee Property Act 1955 की धारा 46 के तहत वर्जित मानते हुए दिनांक 1.7.1969 को निरस्त किया गया।

जबकि वादी द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1398/1 प्रतिवादी संख्या 1 का है तथा खसरा नम्बर 1398/2 वादीगण का है चूंकि नक्शा ट्रेस मुताबिक सन् 1941–1942 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1398/1 व 1398/2 की तरमीम नहीं की गई है बल्कि नक्शे में खसरा नम्बर 1398 ही दर्शाया गया है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में इस बाबत कोई तनकी कायम किए प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का भली भांति विस्तृत रूप से अवलोकन किए व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को सरसरी तौर पर मनन कर स्वीकार किए जाने में त्रुटि कारित हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करे एवं प्रथम तनकी इस आशय की निर्मित कर तय करे कि उक्त राजस्व वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संधारण योग्य है अथवा नहीं ? तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त तनकी के अतिरिक्त प्रश्नगत विवादित भूमि के संबंध में आवश्यक तनकी निर्मित कर खसरा नम्बर 1398/1 व खसरा नम्बर 1398/2 तथा 1398 के समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर तनकीयात पर साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर

निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.04.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर